मो० कमर आलम एवं श्री समीर कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सं० 107/2022 से उद्भूत आश्वासन संख्या-06/2022

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन /आश्वासन	अनुपालन की अद्यतन स्थिति
माननीय सभापति महोदय, परम्परागत खेती के लिए नदी और उससे निकलनेवाली नहरें हीं सिंचाई का प्रमुख साधन हैं। परन्तु नदी एवं तलाब में गाद जमा हो जाने के कारण इसकी धारा अवरूद्ध हो जाती है वहीं दूसरी तरफ वर्षा के दिनों में बाढ़ का भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। भोजपुर जिलान्तर्गत पीरो प्रखण्ड के ग्राम-कोथुआं से एक छोटी नदी निकलती है। इसकी धारा में काफी गाद जमा हो जाने के कारण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाता है परिणाम स्वरूप उनकी खेती और खेतों से होनेवाली उपज प्रभावित हो रही है। अतः मैं पीरो प्रखण्ड के किसानों की आजीविका की रक्षा हेतु वहां से गुजरनेवाली नदी की तलहट्टी से गाद की सफाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के कोथुआ ग्राम से छेरा नदी गुजरती है जिसका उदग्म स्थल अमेहता गांव है। यह नदी अमेहता गांव से निकलकर कोथुआ ग्राम होते हुए ग्राम करजा बरजा के पास लगभग 55 कि०मी० की दूरी तय करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी पूर्णतः बरसाती है एवं वर्तमान में नदी में जल नहीं है तथा नदी में गाद जमा है। वस्तुस्थिति यह है कि गाद एक राज्यव्यापी समस्या है। इसके समाधान हेतु बिहार सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति के प्रारूप पर दिसम्बर, 2017 में मंतव्य हेतु भेजा गया था. जिसपर बिहार सरकार द्वारा अगस्त, 2018 में मंतव्य से भारत सरकार को अवगत कराया गया। पुनः भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में ड्राफ्ट नेशनल फ्रेमवर्क फॉर सेडीमेन्ट मेनेजमेंट तैयार कर मंतव्य हेतु बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार एक प्रभावकारी राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति के शीघ्र अधिसूचित किये जाने हेतु बिहार सरकार प्रयासरत है। साथ ही साथ गाद की समस्या के निराकरण के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। क्योंकि हरेक जगह से ये प्रोबलम आ रहा है। लेकिन इस जगह के लिए अतिरिक्त विभागीय पत्रांक द्वारा जो 1297 दिनांक 29.03.2022 द्वारा मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को इसका तकनीकी फिजिबिलिटी देखने के लिए क्या किया जा सकता है वह दिया गया है वह रिपोर्ट आ जाता है तो इसपर हमलोग कार्रवाई करेंगे।	भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के कोथुआ ग्राम में छेरा नदी की तलहटी में गाद सफाई कार्य का प्राक्कलन बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति की 194 वीं बैठक में उपस्थापित किया गया। बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण पर्षद के तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना को तकनीकी रूप से संभव्य नहीं पाये जाने के कारण इसका कार्यान्वयन तत्समय नही कराया गया। बिहार राज्य अंतर्गत जलस्रोतों में जमी गाद की निकासी कर जल संरचनाओं की क्षमता पुर्नस्थापित करने तथा निष्कासित गाद का प्रबंधन करने के लिये बिहार जलस्रोत पुर्नस्थापित एवं गाद प्रबंधन नीति, 2026 संकल्पित है। छेरा नदी की तलहटी में गाद की सफाई का कार्य उक्त नीति में निहित प्रावधनों के अंतर्गत कराया जायेगा।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–12 / 2022..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–159(6) दिनांक–09.05.2022 के आलोक में ध्यानाकर्षण सं0–107 / 2022 से उदभूत् आश्वासन सं0–06 / 2022 का अनुमोदित अद्यतन कार्यान्वयन प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–12 / 2022..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–12 / 2022..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मो0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–01–12 / 2022..5749.. पटना / दिनांक :..30/9/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/9/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव